न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 41 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
हरनारायण पुत्र श्री तुलसाराम उर्फ तुलसीराम जाति नाई निवासी भगत की कोठी, मकान नम्बर 162 ए कृष्ण मंदिर की दूसरी गली पोस्ट जोधपुर, जिला जोधपुर	1. श्रीमती कंचन पंवार बेवा गोविन्दराम 2. हेमंत पंवार पुत्र गोविन्दराम जाति नाई निवासी डी 385, सरस्वती नगर, बासनी जोधपुर जिला जोधपुर 3. श्रीमती नीता पंवार पुत्री गोविन्दराम पंवार पत्नी मनोज खींची जाति नाई निवासी कृषि मण्डी के पास बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 4. रूपाराम पुत्र श्री अमराराम जाति नाई निवासी नागाणा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 5. लुणाराम पुत्र अमराराम जाति नाई हाईकोर्ट कॉलोनी जोधपुर जिला जोधपुर 6. हेमाराम पुत्र श्री अमराराम जाति नाई निवासी समदड़ी रोड़ बालोतरा 7. गिरधारीराम पुत्र अमराराम 8. नारायण पुत्र अमराराम 9. बालुराम पुत्र बुधाराम जाति नाई निवासी नागाणा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व राहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 108 / 2010 बउनवान श्रीमती कंचन वगैरह बनाम हरनारायण वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री भूपेन्द्र गहलोत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी उत्तरदाता संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—09.06.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उत्तरदाता संख्या 01 से 03 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर ग्राम रामदेवपुरा तहसील पचपदरा के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खसरा नम्बर 245, 248, व 249 की कुल रकबा 64.19 बीघा एवं ग्राम थोरियों की ढाणी तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 362 रकबा 19.08 बीघा भूमि को पक्षकारान के पूर्वज सुजाराम की होने एवं पैतृक सम्पति के नाते उत्तरदाता संख्या 01 से 03 एवं अपीलार्थी के पूर्वज तुलसाराम को प्राप्त होना बताते हुए वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि में तुलसाराम के 1/3 हिस्से के आधे भाग अर्थात 1/6 हिस्सा भूमि उत्तरदाता/वादीगण की घोषित किये जाने तथा वादग्रस्त भूमि में तुलसारामजी के हिस्से की भूमि का अपीलार्थी हरनारायण द्वारा बीमारी एवं वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाकर अपने पक्ष में कराये बखशीशनामा को शून्य एवं निष्प्रभावी मानते हुए वादग्रस्त भूमि का बंटवारा करवाये जाने तथा निषेधाज्ञा प्राप्ति के अनुतोष के लिए हस्तगत वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित मौका दिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विरूद्ध पारित की गई। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि सेटलमेंट के वक्त भूमि की पैमाईश के पश्चात सर्वप्रथम खातेदारों को पर्चा लगान जारी किये जाने का प्रावधान रहा है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रदर्श 25 पर्चा संख्या 25 एवं प्रदर्श 24 पर्चा नम्बर 28 में तुलसा, अमरा व बुद्धा पिसरान सुजा कौम नाई साकिन देह बहिस्सा बराबर खातेदार होना अंकित किया है। पर्चा लगान में कहीं भी 25 वर्ष से काश्त होने को तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए उक्त पर्चा लगानों के आधार पर तैयार मिसल बंदोबस्त में 25 वर्ष पूर्व की खातेदारी होने के तथ्य की पुष्टि में किसी प्रकार का कोई आधार साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। सेटलमेंट से 25 वर्ष पूर्व की खातेदारी होने का अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष किसी भी दृष्टि से विधि मान्य नहीं है। कृषि प्रधान देश में राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी की कृषि भूमि नहीं होने अथवा उसके द्वारा कृषि कार्य किया जाना तथ्यों को छिपाव निर्णीत करने का पत्रावली पर कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। उत्तरदाता संख्या 01 से 03 वादीगण द्वारा अपीलार्थी हरनारायण के पक्ष में तुलसाराम द्वारा निष्पादित बखशीशनामा को निरस्त करवाने हेतु दीवानी वाद माननीय अपर जिला न्यायाधीश, बालोतरा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय अपर जिला न्यायाधीश, बालोतरा द्वारा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उत्तरदाता संख्या 01 से 03 द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 37/2016 को दिनांक 03.01.2023 को पारित निर्णय से खारिज कर दिया जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद सिविल न्यायालय में निर्णय का संज्ञान नहीं लेते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बख्शीसनामा को शून्य एवं निष्प्रभावी माने जाने का निष्कर्ष पूर्णतया विधि विरूद्ध है। अपीलाधीन आराजी तुलसाराम की स्वअर्जित संपति है। अपीलाधीन आराजी के पर्चा लगान प्रदर्श 24 व 25 में तुलसाराम के कब्जे काश्त की होने से उस पर तुलसाराम को खातेदारी अधिकार प्राप्त होना निर्विवाद एवं अकाट्य रूप से प्रमाणित है। तुलसाराम द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि के बख्शीस किये जाने को चुनौती दिये जाने का किसी को अधिकार नहीं है। सिविल न्यायालय द्वारा बखशीशनामा को निरस्त करने का वाद गुणावगुण पर निरस्त किये जाने के पश्चात उस बखशीशनामा को विधि मान्य नहीं मानने का कोई कारण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कायम विवाद्यक बिंदुओं का विधि से परे जाकर गलत विवेचन किया गया। तुलसीरामजी भगत की कोठी स्थित भूखण्ड संख्या 162 में अपने छोटे पुत्र प्रतिवादी हरनारायण के साथ ही निवास करते थे तथा आज भी प्रतिवादी हरनारायण अपने माता श्रीमती अणसीदेवी के साथ भगत की कोठी स्थित भूखण्ड संख्या 162 में निवास करता है। श्री गोविंदरामजी पंवार भारतीय वासुसेना में सेवारत थे जो अपनी सम्पूर्ण सेवा भारत के अलग अलग शहरों में दी तथा अपनी पत्नी व परिवार के साथ जहां गोविंदराम का स्थानान्तरण होता था उसी स्थान पर सपरिवार रहते थे तथा गोविंदराम अपनी सेवा के अंतिम तीन वर्षो के दौरान सरस्वती नगर जोधपुर मकान में रहे व उसी दौरान उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गयी। जिससे स्व. गोविंदराम का परिवार कभी भी तुलसीरामजी के साथ नहीं रहा तथा वादग्रस्त कृषि भूमि में गोविंदराम का कोई हक हिस्सा नहीं था। स्व. गोविंदराम ने वायु सेना में अपनी सेवा के दौरान तुलसीरामजी एवं तुलसीरामजी की धर्मपत्नी अणसीदेवी की कभी कोई देखभाल नहीं की। पी.डब्ल्यू. 01 स्वयं ने जिरह में स्वीकार किया है कि मेरे ससुरजी की सेवा चाकरी मेरे देवर ही करते थे। मेरे ससुरजी मेरे देवर के साथ रहते थे। मेरे ससुरजी मेरे घर पर साईकिल से चार पांच साल पहले आये थे। इससे साफ जाहिर होता है कि तुलसीराम का स्वास्थ्य सही था। अपीलांट के पक्ष में किये बक्शीशनामे राजीखुशी निष्पादित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का उल्लंघन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद्यक संख्या 01 की विवेचना करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा बंदोबस्त प्रदर्श 21 व 23 में तुलसाराम के 25 वर्ष से खातेदार होने का उल्लेख करते हुए संवत 1983 यानि सन् 1926 से कब्जा होना प्रकट होना मानते हुए तत्समय खातेदार तुलसाराम का जन्म बंदोबस्त वर्ष 2008 से 25 वर्ष पूर्व नहीं होना मानते हुए वादग्रस्त भूमि को पैतृक होना निर्णीत किया तथा तुलसाराम के राजकीय सेवा में पदस्थापित होने से उसके कृषक होने की बात तथ्यों का छिपाव होना निर्णीत करते हुए तुलसाराम द्वारा हरनारायण के पक्ष में निष्पादित बख्शीसनामा को शून्य एवं निष्प्रभावी मानते हुए वादग्रस्त भूमि में तुलसाराम की कुल 1/3 हिस्से की भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि उत्तरदाता संख्या 01 से 03 की खातेदारी की घोषित की गई जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांट बहुत ही होशियार व चालाक किस्म का व्यक्ति व सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत है, जिसके द्वारा श्री तुलसीरामजी की अधिक उम्र, गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने का एवं उनकी सोच समझ न होने का नाजायज फायदा उठाकर उनको मुगालता देकर रामदेवपुरा में आये हुए 1/2 हिस्से का बख्शीशनामा अपने हक में तारीख 25.03.2009 को तकमील करवाया एवं ग्राम थोरियों की ढाणी में आये 1/3 हिस्से का बख्शीशनामा अपने हक में तारीख 25.03.2009 को तकमील करवाया गया। अपीलांट सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत है। जबकि बख्शीशनामों में अपना पेशा काश्तकारी एवं व्यापारी होना बताया गया है। श्री तुलसीरामजी को अपने पैतृक सम्पति का अपने एक पुत्र प्रतिवादी संख्या 01 को बख्शीशनामे अवैध एवं अनाधिकृत व वादीगण के हितो के विपरीत होने से वादीगण के विरूद्ध निष्प्रभावी एवं बेअसर है। अपीलाधीन आराजी ग्राम रामदेवपुरा एवं थोरियों की ढाणी में आयी हुई पुश्तैनी भूमि का कभी कोई बंटवारा नहीं हुआ एवं मेरे दादा ससुर सूजाजी के समय से ही संयुक्त कब्ज काश्त रहा एवं आज भी संयुक्त कब्जा काश्त है। डी. डब्ल्यू 01 स्वयं ने जिरह में स्वीकार किया गया कि वादग्रस्त भूमियों का लगान बुधाराम जो तुलसीराम के भाई थे ने भरा था। इससे साफ जाहिर होता है कि अपीलाधीन आराजी वादीगण के हक पूर्वाधिकारी सुजाजी के कब्जे काश्त की संपति थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद एवं जबाव दावा में आये तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए प्रकरण में विवाद्यक बिंदु कायम किये गये। विवाद्यक बिंदुओं पर साक्ष्य करवाई गई। तत्पश्चात प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में किसी प्रकार की कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित नहीं की गई। अपीलांट द्वारा हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से झूठे तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई। अतः अपीलांट की अपील को मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल 08 तनकी कायम की गई। वादीगण द्वारा वाद पत्र को साबित करने हेतु दस्तावेज प्रदर्श–01 से प्रदर्श–25 प्रदर्शित करवाये गये। साक्ष्य गवाह में वादीनी संख्या 01 स्वयं कंचन पंवार में बयान कलमबद्ध करवाए। वादीनी श्रीमती कंचन पंवार से प्रतिवादी संख्या 01 के वकील द्वारा जिरह की गई, जिसमें यह कही साबित नहीं कर पाए कि अपीलाधीन आराजी तुलसीराम की स्व–अर्जित संपति हो। अधिवक्ता वादीगण की ओर से प्रतिवादी गवाह डी डब्ल्यू 01 से डी डब्ल्यू 03 से लम्बी जिरह की गई, जिसमें अपीलांट हरनारायण ने स्वीकार किया कि मुतवफी सूजाराम के तीन पुत्रः– अमराराम, तुलसीराम व बुधाराम थे तथा गोविंदराम उसका सगा भाई है। वकील वादी द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज खसरा बंदोबस्त प्रदर्श–21 व 23 में वर्णित इबारत कि खातेदार 25 वर्ष के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रदर्श–21 जो संवत 2008 में बनाया हुआ है में भी स्पष्ट रूप से 25 वर्ष खातेदार होने का उल्लेख किया हुआ, इस प्रकार उक्त भूमि पर संवत 1983 यानि सन् 1926 से काबिज होना प्रकट होता है, जबकि तत्समय के खातेदार तुलसाराम का जन्म भी संवत 2008 में 25 वर्ष पूर्व हुआ ही नहीं था, क्योंकि तुलसाराम का जन्म प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा न्यायालय में की गई जिरह में यह बताया गया कि तुलसारामजी आज यानि दिनांक 23.08.2022 को जीवित होते तो उनकी आयु 87 वर्ष होती, जिसके अनुसार भी तुलसीराम का जन्म सन् 1935 के बाद होना प्रकट होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि अपीलाधीन आराजी सुजाराम से ही तुलसाराम, अमराराम व बुधाराम को प्राप्त हुई। प्रतिवादीगण द्वारा करवाये बयानों से अपीलाधीन आराजी को कहीं पर भी तुलसीराम की स्वअर्जित संपति होना साबित नहीं किया गया। अपीलाधीन आराजी तुलसीराम की स्वअर्जित संपति होती तो तुलसीराम के साथ उसके भाईयों अमराराम व बुधाराम का नाम किस आधार पर इन्द्राज हुआ। तुलसीराम के साथ अपीलाधीन आराजी में अपने भाईयों के नाम का इंद्राज होना यह साबित करता है कि अपीलाधीन आराजी पैतृक है। उपरोक्त तथ्यों से साबित होता है कि अपीलाधीन आराजी तुलसीराम को जरिये विरासत पैतृक रूप से प्राप्त हुई। वादीगण द्वारा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली पर प्रदर्शित दस्तावेज खसरा बंदोबस्त जो एक राजस्व अभिलेख है, जिसके खण्डन में प्रतिवादी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। वादीगण द्वारा अपनी मौखिक, दस्तावेजी साक्ष्य व प्रतिवादी से की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान की गई संस्वीकृति से साबित करवाया कि अपीलाधीन आराजी तुलसीराम की स्व–अर्जित नहीं होकर पैतृक संपति थी, जिसका संपूर्ण हिस्सा तुलसीराम को वख्शीस करने का कोई अधिकार नहीं था। हस्तगत प्रकरण में कायम तनकीयात जो वादीगण के जिम्मे रखी गई उक्त तनकीयात को वादीगण द्वारा वखूबी सावित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तनकीवार विवेचन देते हुए पूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही को निष्पादित करते हुए पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात विस्तृत विवेचन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 108/2010 बउनवान श्रीमती कंचन वगैरह बनाम हरनारायण वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2024 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

9/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर